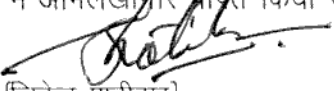
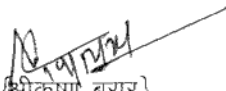


Order Sheet [Contd.]

Case No. of 202.....

Date of Order of Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders Where necessary
आरसीटी/656/22 14.12.2024	राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश ठाकुर उपस्थित। प्रकरण राजीनामा आवेदन पर विचार हेतु नियत है। प्रकरण निराकरण हेतु " नेशनल लोक अदालत खण्ड पीठ कमांक 29" के समक्ष रखा गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि हस्तगत प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा- 341 एवं 506 भाग-2 भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है और उक्त धाराओं के तहत दण्डनीय अपराध में शमन करने हेतु आहत के द्वारा दिनांक 24.10.2024 को राजीनामा आवेदन पेश किया है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि अभियुक्त के विरुद्ध जिन धाराओं के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है, वे सभी अपराध शमनीय प्रकृति के हैं और आहत के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं राजीनामा कथन से यह भी दर्शित है कि आहत के द्वारा बिना किसी भय एवं दबाव के स्वेच्छापूर्वक अपराध का शमन करना चाहा है और आहत अपराध का शमन करने के लिए सक्षम हैं। अतः विचार उपरांत आहत के दिनांक 24.10.2024 को आवेदन को स्वीकार किया जाता है और उससे अपराध के शमन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में चूंकि अपराध का शमन हो चुका है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा- 341 एवं 506 भाग-2 भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व के बंधपत्र एवं प्रतिभूतियां भारमुक्त समझी जावें। प्रकरण में जवाबदा संपत्ति कुछ नहीं। अभियुक्त के द्वारा जांच एवं विचारण के दौरान जेल में निरुद्ध अवधि के संबंध में अभियुक्त का धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत निरोध अवधि प्रमाणपत्र तैयार किया जावें। प्रकरण का परिणाम सीआईएस में दर्ज करने के उपरांत विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।  (जितेन्द्र पाटीदार) सदस्य नेशनल लोक अदालत कमांक 29 धरमपुरी जिला धार म.प्र.  (श्रीकृष्ण बरार) पीठासीन अधिकारी नेशनल लोक अदालत कमांक 29 धरमपुरी जिला धार म.प्र.	